IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# भारत में राजनीतिक दल–बदल

RESEARCH SCHOLAR: - MANISHA
REGISTRATION NUMBER: - H2IECPHD012
SUBJECT: - PUBLIC ADMINISTRATION
SUPERVISOR: - DR. SHALU DEVI
IEC UNIVERSITY BADDI

**शोध आलेख सारः–** 'दल–बदल' भारतीय राजनीति की आधुनिक में बहुत ही भयंकर समस्या है। भारतीय राजनीति में सर्वाधिक प्रचलित राजनीतिक खेल को दल बदल के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में जनता अपना राजनीतिक विश्वास किसी विशेष व्यक्ति या राजनीतिक दल के मतदान द्वारा व्यक्त कर संसद या विधानसभा के लिए निर्वाचित करती है और आशा करती है वह व्यक्ति उनके विश्वास के अनुसार ही कार्य करेगा, लेकिन धन और पद के लालच में यह जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास को तोड़ते हुए पक्ष परिवर्तन अर्थात् पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक दल में चले जाते हैं। आज की विषम परिस्थितियों को देखते हुए दल विहीन लोकतंत्र ही भारत के लिए श्रेयस्कर हो, ऐसा लोकतंत्र जिसका आदर्श समाज हो, तथा जिसमें विरोधी और प्रतियोगिता का स्थान व्यापक लोक कल्याण से प्रेरित सहयोग और सामंजस्य अथवा 'सर्वोदय' की भावना ने लिया हो ।

**मुख्य शब्दः–** दल–बदल, लोकतंत्र, चुनाव– चिन्ह, गठबंधन, राजनीतिक समस्या

**प्रस्तावनाः–** दल–बदल भारतीय राजनीति में एक दल के सदस्यों को दूसरे दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की अवधारणा है। यह अक्सर विधानसभा चुनावों के समय उठाया जाता है, जब एक दल अन्य दलों से समर्थन की तलाश में होता है या फिर बहुमत नहीं होता है। इसके तहत, दल के सदस्यों को अन्य दल में शामिल होने का आमंत्रण किया जाता है ताकि उनके समर्थन से दूसरे दल को सरकार बनाने में मदद मिल सके।

यह प्रथा भारतीय राजनीति में काफी आम हो गई है। इसे कुछ लोग राजनीतिक दलों के तख्तापलट या आत्मसमर्पण के रूप में भी देखते हैं। इसके साथ ही, इस प्रथा के खिलाफ भी कुछ लोग उठाते हैं और उन्हें इसका देश की लोकतंत्र में एक असंवैधानिक अभ्यास मानते हैं। दल बदल भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद विषय है, जिस पर अलग–अलग राजनीतिक दलों की अलग–अलग राय होती है।

**भारत में राजनीतिक दल–बदल की परिस्थिति का इतिहासः–**

भारत में राजनीतिक दल–बदल की प्रथा बहुत पुरानी है। इस प्रथा का इतिहास भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न हो सकता है।

1967 से पहले केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी।एक ही दल की सरकार होने के कारण केंद्र एवं राज्य मेंराजनीतिक एकरूपता पायी जाती थी।जब दल विपरीत समर्थन के बाद सरकार का गठन करने की कोशिश कर रहे थे। 1967 के बाद कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई।

इसके बाद, दल बदल की प्रथा अन्य राज्यों में भी फैलने लगी। उदाहरण के लिए, 1977 में जनता दल की सरकार के बाद, कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्यों में दल बदल का फायदा उठाया था।

भारत में 1990 के दशक में आर्थिक बुराइयों और उसके परिणाम स्वरूप उभरी राजनीतिक समस्याओं के चलते दल बदल की प्रथा बहुत ज्यादा हुई। उस समय, कुछ राज्यों में अखिल भारतीय वैश्य व समाजवादी पार्टी जैसे पार्टियों ने अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई थी।

अंततः, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत बहुमत हासिल किया था, जिससे कि इस दौरान दल बदल की प्रथा कम हो गई थी। हालांकि, इससे पहले भी भारत में दल बदल की प्रथा बहुत ज्यादा होती थी और इसे एक सामान्य रूप से स्वीकारा जाता था।

इसके अलावा, भारत में दल बदल की प्रथा कभी–कभी राजनीतिक समझौतों के दौरान भी देखी जाती है। उदाहरण के लिए, 2018 में कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी और जनता दल ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिससे कि भाजपा के समर्थन वाले दलों को हराया गया था।

दल–बदल की प्रथा अक्सर दलों के राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे कि दलों की विश्वसनीयता पर एक बार फिर सवाल उठता है। इस प्रथा को कुछ लोग राजनीतिक अस्थिरता का कारण मानते हैं, जबकि दूसरों के अनुसार यह लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

**राजनीतिक दल–बदल के कुछ मुख्य कारण हैं:–**

- **प्रभावशाली दलीय नेतृत्व का अभावः–** स्वाधीनता संग्राम के प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले नेता सक्रिय राजनीति के क्षेत्र से लगभग विदा हो चुके थे और किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा शिखर व्यक्तित्व नहीं रहा था जो उसके सदस्यों को बाँध कर रख सके। काँग्रेस और गैर–काँग्रेसी नेता एक ही स्तर के थे, अतः राष्ट्रीय व्यक्तित्व के अभाव में दलीय सदस्यों पर नियन्त्रण कम हो गया।
- **प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थितिः–** चतुर्थ आम चुनाव के बाद काँग्रेस दल और कुल मिलाकर विरोधी दल के सदस्यों की संख्या लगभग सन्तुलित होने के कारण प्रत्येक विधायक की स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण हो गयी कि वह अपने को मन्त्रिमण्डल की 'कुंजी' समझने लगा।
- **कांग्रेस की दल–बदल नीति में परिवर्तनः–** काँग्रेस के संसदीय बोर्ड ने दल–बदलुओं को कांग्रेस में शामिल करने के प्रश्न पर अपनी नीतियों में औपचारिक परिवर्तन किया। संसदीय बोर्ड ने यह निर्णय किया कि गैर–कांग्रेसी विधायकों को कांग्रेस में शामिल किये जाने के बारे में सभी प्रतिबन्ध हटा दिये जायें और इस मामले को दल के राज्य के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाये। इस नीति के फलस्वरूप बहुत से दल–बदलू विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने हैदराबाद अधिवेशन में राज्यों के कांग्रेसी विधायकों को अन्य दल–बदलू विधायकों के साथ मिल–जुलकर सरकारें बनाने के लिए अधिकृत किया।
- **पदलोलुपताः–** सत्ता प्रभुता का मोह और पद–लोलुपता ने देश के राजनीतिक वातावरण को इतना खराब और दूषित बना दिया कि विधायकों की दृष्टि से सिद्धान्त, आदर्श और नैतिकता का मूल्य और महत्त्व कम हो गया। विधायकों में अवसरवादिता की भावना अधिक हो गयी।

❖ **व्यक्तिगत संघर्ष:-** अनेक बार विधायक और दल के नेताओं के बीच व्यक्तिगत संघर्ष और स्वभावों के न मिलने के कारण भी कई विधायक दल छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

❖ **वरिष्ठ सदस्य की उपेक्षा:-** कई बार पार्टी में टिकटों का बँटवारा न्यायोचित नहीं होता। लगभग सभी प्रमुख दलों में दादागिरी की स्थिति है और जब दल को किन्हीं वरिष्ठ सदस्यों के दल के सर्वोच्च नेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं होते तब टिकटों के बँटवारे और अन्य अवसरों पर उन्हें निरन्तर उपेक्षा सहन करनी होती है और यह स्थिति उन्हें दल–बदल के लिए प्रेरित करती है।

❖ **धन का प्रलोभनः–** अब तो पद का ही नहीं, धन का भी प्रलोभन दिया जाता है, जैसे चुनावों में वोट खरीदने की कोशिश की जाती है वैसे ही दल–बदल करने के लिए विधायकों को धनराशि दी जाने लगी है। केन्द्रीय गृह मन्त्री ने लोकसभा में एक बार बताया था कि दल–बदलू का भाव हरियाणा में बीस हजार रुपये से चालीस हजार रुपये तक आँका जा रहा है। अब यह राशि लाखों व करोड़ों में पहुँच चुकी है।

❖ **जनता की उदासीनताः–** भारतीय मतदाता दल–बदल की घटना से उदासीन ही रहा। दल–बदल से न तो साधारण मतदाता को कोई धक्का लगा और न ही कोई चोट ही पहुँची ऐसे कितने उदाहरण सामने आये जब दल–बदल करने वाले विधायकों का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया गया, फूलमालायें पहनायी गयीं और उनका जुलूस निकाला गया।

❖ **समर्थन गठबंधनः–** दल बदल का एक कारण यह है कि कुछ दल अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। वे दल जो अभी सत्ता में हैं उनसे समर्थन नहीं प्राप्त कर पाते तो उन्हें दूसरे दल से समर्थन लेना पड़ता है।

❖ **विचारधारा या विदेशी नीतियों के बदलते समयों का प्रभावः–** कुछ दलों के बीच समान विचारधारा नहीं होती है और समय–समय पर उन्हें अपनी विचारधारा या विदेशी नीतियों को बदलने के लिए दल–बदल करना पड़ता है।

❖ **सत्ता में रहने की इच्छाः–** कुछ दलों का लक्ष्य सत्ता में रहना होता है। वे सत्ता में रहने के लिए दल बदल करते हैं ताकि वे नए दल के समर्थन से सत्ता में बने रह सकें।

इन सभी कारणों के अलावा, दल–बदल की प्रथा में राजनीतिक समझौते भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने वाले दल उन दलों को एक समझौते के माध्यम से अपनी सरकार में शामिल कर सकते हैं।

**राजनीतिक दल बदल के कुछ मुख्य परिणाम हैं:–**

- **सत्ताधारी दलों की विश्वसनीयता पर असरः–**दल–बदल का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि सत्ताधारी दलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। दल बदल की प्रथा दलों की नियतों और राजनीतिक उद्देश्यों पर संदेह उत्पन्न करती है।
- **समाज के मध्यमवर्ग के विरोध का असरः–**दल–बदल का एक परिणाम यह है कि समाज के मध्यमवर्ग के विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। दलों के आम लोगों के बीच समझौते के माध्यम से सरकार बनाने की प्रथा में दल बदल का प्रयोग आम होता है, जो उनके बीच अस्थिरता उत्पन्न करती है।
- **सरकारी नीतियों पर प्रभावः–** दल–बदल का एक परिणाम यह होता है कि सरकारी नीतियों पर असर पड़ता है। दल बदल की प्रथा के कारण, सरकारी नीतियों में अस्थिरता उत्पन्न होती है और लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं।
- **राजनीतिक अस्थिरताः–**दल–बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे लोगों की जानकारी के अभाव में, लोगों की आस होती है कि सरकार स्थायी नहीं होगी और यह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। इससे लोगों में राजनीतिक उदासीनता और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है।
- **राजनीतिक समझौते के परिणामः–** दल–बदल की प्रथा के दौरान राजनीतिक समझौते होते हैं, जो समान राजनीतिक उद्देश्यों के माध्यम से संभव होते हैं। इससे लोगों को लगता है कि दल बदल की प्रथा सरकार बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है।
- **स्थायी रूप से बदलाव की जरूरतः–** दल–बदल के दौरान राज्यों की स्थिति में स्थायी रूप से बदलाव की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, अनेक राज्यों में बीमारियों और जल संकट की समस्या है, जो स्थायी रूप से बदलाव की जरूरत को दर्शाती है।
- **सरकार का बदलावः–** जब एक राजनीतिक दल दूसरे से बदलती है, तो सरकार भी बदल जाती है। नई सरकार नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है।

- **राजनीतिक आदर्शों के बदलावः–** राजनीतिक दल बदलने से राजनीतिक आदर्शों में भी बदलाव हो सकता है। जिस दल की सत्ता में होते हुए कुछ आदर्श थे, वे दूसरी दल के सत्ता में होते हुए उलझ सकते हैं और नए आदर्शों को अपनाने के लिए मजबूर हो सकते हैं।
- **राजनीतिक संरचना के बदलावः–** राजनीतिक दल बदलने से राजनीतिक संरचना में भी बदलाव हो सकता है। दल की सत्ता के साथ उसकी संरचना और संगठन भी बदल जाते हैं।
- **राजनीतिक घमासानः–** राजनीतिक दल बदलने से राजनीतिक घमासान हो सकता है। दलों के समर्थक और विरोधी एक दूसरे से टकराते हैं और राजनीतिक उत्साह उभरता है।
- **दलों की उच्चता–निम्नता में बदलावः–** राजनीतिक दल बदलने से दलों की उच्चता–निम्नता में भी बदलाव हो सकता है। कुछ दल उच्च और कुछ निम्न स्तर के मतदाताओ के समर्थक होते हैं।
- **नैतिक मूल्यों में गिरावटः–** दल–बदल के कारण सांसद और विधायक अपनी जिम्मेवारी व कर्तव्यों और जनता के प्रति उत्तरदायित्व को भूल रहे हैं। राजनीतिक में एक विधायक सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है ना कि जनता की भलाई।
- **मंत्रिमंडलो का अनावश्यक विस्तारः–** प्रारंभ में सन 1977 से मंत्री मंडलों का आकार छोटा हुआ करता था। इसके बाद मिली जुली सरकार बनने लगी अर्थात गठबंधन की सरकार जनता के सामने उभरकर सामने आई। एक विधायक की पार्टी में आने जाने से सरकार के बनने व गिरने का डर लगा रहता है। कई बार विधायकों को संतुष्ट करने के लिए अनावश्यक विस्तार किया जाता है।
- **विदेशों में प्रतिष्ठा की कमीः–** दल–बदल के कारण विदेशों में भी भारत के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को घटाया हुआ प्रतीत होता है। दल–बदल के कारण कई बार समय से पहले चुनाव होते हैं। भारत के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को गहरा धब्बा लगता है क्योंकि दलबदल की घटना विदेशी समाचार पत्रों, रेडियो, व इंटरनेट के माध्यम से विश्व के हर भाग में पहुंच जाती है।

❖ **राजनीतिक दलों का विघटनः–** दल–बदल के कारण राजनीतिक दलों में बिखराब देखने को मिलता है। दल–बदल के कारण राजनीतिक दल भारी रूप से देखने में मजबूत नजर आते हैं परंतु अंदर से वह दल खोखलेपन का शिकार हो चुका होता है।

❖ **दल बदल रोकने के उपायः–** जनप्रतिनिधियों के दल–बदल को नियंत्रित करने एवं नियमित करने के लिए संसद में 52वा संशोधन अधिनियम बनाया। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान आठवीं लोकसभा में 52 वा संविधान संशोधन 1985 में पास किया गया। इसे दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस अधिनियम 1985 में संशोधन के बाद 91 संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया।

**दल बदल रोकने के उपायः–**जनप्रतिनिधियों के दल–बदल को नियंत्रित करने एवं नियमित करने के लिए संसद में 52वा संशोधन अधिनियम बनाया। राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल के दौरान आठवीं लोकसभा में 52 वा संविधान संशोधन 1985 में पास किया गया। इसे दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस अधिनियम 1985 में संशोधन के बाद 91 संविधानिक संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया।

**52 वें संशोधन में अयोग्यता के संबंध में प्रावधानः–**52वें अधिनियम 1985 द्वारा दल–बदल के आधार पर केंद्र एवं राज्य की व्यवस्थापिका अर्थात संसद और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) में वर्णन किया गया।

- यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य है और यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र दे देता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

- कोई सदस्य जो राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से अलग अर्थात निर्दलीय रूप में निर्वाचित हुआ है और वह निर्वाचित के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो सदन की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- मनोनीत सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से 6 माह की समाप्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है तो सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा।

- इस संशोधन में यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई सदस्य सदन का सदस्य रह सकता है या नहीं। सदस्य की अयोग्यता के बारे में सदन के अध्यक्ष या सभापति का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। सभापति के फैसले के विरुद्ध अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।

**91 वां संवैधानिक संशोधन 2003 और दल–बदलः–**

भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2003 में 91 वां संवैधानिक संशोधन 2003 में पास किया गया। दल बदल के दोषों का पूर्ण रूप से खत्म करने के कारण भारतीय संसद ने इसका निर्माण किया जो कि लोकसभा द्वारा 16 दिसंबर 2003 पर राज्यसभा द्वारा 18 दिसंबर 2003 और राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी 2004 को मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया गया।

91संवैधानिकसंशोधन 2003 के तहत दल–बदल के प्रति विरोध बढ़ाया गया था। इस संशोधन से पहले एक दल के सदस्य दूसरे दल में शामिल हो सकता था और उसके बाद संसदीय आवास में नए दल के साथ जुड़ सकता था। इस संशोधन के बाद, जब एक सदस्य दूसरे दल में शामिल होता है, तो उसे संसदीय आवास में नए दल के साथ जुड़ने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यह संशोधन दल बदल को रोकने और नियंत्रित करने का लक्ष्य रखता है।

**इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः–**

- दल–बदल करने वाले व्यक्ति को कोई भी सरकारी पद नहीं दिया जाएगा।
- छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निश्चित की गई।
- मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया गया।इसका आकार केंद्र में बड़े राज्यों में लोकप्रिय सदन के सदस्यों की संख्या का 15 प्रतिशत ही हो सकेगा।
- सदन में यदि सदस्यता कायम रखनी है तो दुबारा से चुनाव प्रक्रिया में जीत हासिल करनी होगी।

## निष्कर्षः–

दल–बदल की इस भयंकर समस्या पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या पर नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा वरना सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल सर्वसम्मति से राजनीतिक नैतिकता से कुछ मूल्यों को निर्धारित करें तथा उन मूल्यों के प्रति ईमानदार रहें तभी इस समस्या का समाधान संभव है। अंत में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि किसी भी कारण से दल विरोधी कानून पास किया गया है लेकिन इस दिशा में हमें अनेक प्रयास करने होंगे ताकि आने वाले समय में दल–बदल जैसी समस्या का समाधान किया जा सके।

## संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1- भारतीय शासन व्यवस्था– ओ. पी. रस्तोगी

2-भारतीय सरकार और राजनीति :– डॉ गुलशन राय

3-भारतीय राजनीति– रजनी कोठारी

4-भारतीय राजनीति– सोमनाथ दर्पण

5-प्रतियोगिता दर्पण